[**तरसेम सिंह** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** (2004 की सिविल अपील सं. 1489), जिसका विनिश्चय इस न्यायालय द्वारा 25 जनवरी, 2006 को किया गया, वाला मामला भी देखिए] ।

10. विभागीय कार्यवाही करना (एक) नियम है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 से उपाबद्ध द्वितीय परन्तुक में एक अपवाद का उपबंध किया गया है । यह सामान्य विधि है कि ऐसी किसी अपवादात्मक स्थिति के विद्यमान होने की बात अवश्य ही दर्शित की जानी चाहिए कि वह सुसंगत सामग्री के आधार पर विद्यमान है । इस मामले में ऐसा कोई प्रश्न भी उद्भूत नहीं हुआ क्योंकि विभागीय कार्यवाही की गई थी और अपीलार्थी को उसमें दोषी नहीं पाया गया था । जब एक बार उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था तो उसके विरुद्ध पदच्युति का, और वह भी प्ररूपिक जांच से अभिमुक्ति दे दिए जाने पर, आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । उच्च न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल किया जाता है । मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी 10,000/- रुपए की सीमा तक के खर्चों का हकदार होगा ।

11. अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

ज.

[2007] 1 उम. नि. प. 187

राजस्थान राज्य

बनाम

काशीराम

7 नवंबर, 2006

न्यायमूर्ति बी. पी. सिंह और न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 106 – सबूत का भार – धारा 106 के अधीन अनुमान – धारा 106 के अधीन अनुमान लगाया जाना चाहिए अथवा नहीं इस प्रश्न का अवधारण साबित तथ्यों के

हवाले से किया जाना चाहिए और यह अंततोगत्वा साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 313 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त को आखिरी बार मृतका-पत्नी तथा पुत्रियों (मृत) के साथ देखा जाना और गिरफ्तारी होने तक गायब रहना और उसके बाद प्रतिरक्षा में कोई स्पष्टीकरण न देना – ये सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं जिसमें अभियुक्त के दोषी होने के निष्कर्ष के सिवाए कोई और अन्य अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

इस अपील में के प्रत्यर्थी, काशीराम, का कलावती (मृत) के साथ इस घटना के सात वर्ष पूर्व विवाह हुआ था । उनके (इस बीच) दो बच्चे हुए अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उनके संबंध सौहार्द्रपूर्ण नहीं थे और प्रत्यर्थी द्वारा कलावती पर हमला किए जाने और उसके साथ क्रूरता बरते जाने की घटनाएं होती रहती थीं । यद्यपि प्रत्यर्थी के पिता के घर पर पंचायत भी बुलाई गई थी, फिर भी प्रत्यर्थी के पिता ने अपनी लाचारी प्रकट की क्योंकि अपीलार्थी ने उसकी सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया । परिणामतः कलावती लगभग दो वर्ष तक अपने माता-पिता के पास रही । बाद में, हरचंद, प्रत्यर्थी के पिता ने उसके माता-पिता को आश्वस्त किया कि काशीराम का व्यवहार सुधर गया है और इस प्रकार कलावती को उसके दंपत्ति गृह (ससुराल) भेज दिया जाना चाहिए । इस पर विश्वास करके कलावती को उसके ससुराल भेज दिया गया था । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि कुछ समय के पश्चात् काशीराम ने पुनः उसी पुराने ढंग से अवचार (दुर्व्यवहार) बरतना शुरू कर दिया और वह रह-रह कर अपनी पत्नी कलावती को पीटता भी था । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी ने तारीख 3 और 4 फरवरी, 1998 की मध्यरात्रि में अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी और उसके बाद गायब हो गया । इस घटना के बारे में प्रथम इत्तिला अभि. सा.-6, द्वारा जो कि कलावती (मृत) के पिता का कजिन है, दी गई थी । उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्ररूपिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी गई थी और प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला रजिस्टर कर लिया गया था । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि

अभियोजन पक्ष ने यह सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि मृतका कलावती आखिरी बार जीवित अपने घर में तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखी गई थी और यह कि अभि. सा. 2 ने उसे तथा साथ ही उसके पति को भी उनके किराए के मकान में देखा था । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि तारीख 4 फरवरी, 1998 की सुबह घर के दोनों दरवाजों पर ताले लगे पाए गए थे और यह कि संबंधित अभियोजन पक्ष के साक्षी तारीख 6 फरवरी, 1998 को दरवाजे को हटाने के पश्चात् घर में प्रविष्ट हुए थे । घर पर तारीख 4 फरवरी, 1998 को जब मृतका कलावती की माता उसके घर पर गई थी तब भी ताला लगा पाया गया था । परिस्थितियों का अवलंब लेते हुए और इस निष्कर्ष को देखते हुए कि मृत्यु, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से साबित होता है, मानववध थीं, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि साबित किए गए तथ्यों और परिस्थितियों से केवल जो अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी तथा दोनों पुत्रियों की हत्या करने के पश्चात् घर पर ताला लगा दिया और वहां से गायब हो गया । उसे दो सप्ताह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था किंतु वह प्रतिरक्षा में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा । तदनुसार, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे उसके द्वारा किए गए अपराध की घृणित प्रकृति को देखते हुए, जिसमें तीन निर्दोष व्यक्तियों की, जिनमें दो अबोध शिशु भी हैं, जानें चली गईं, मृत्यु दंडादेश दिया । अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्षों को उलट दिया और प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया । इसके विरुद्ध राजस्थान राज्य द्वारा विशेष इजाजत से ये अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि कलावती और उसकी दो अवयस्क पुत्रियों की मृत्यु ऐसा मानववध था जो गला घोंटने से कारित किया गया था । मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी । अभिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि मृतकों को आखिरी बार प्रत्यर्थी के साथ जीवित उसके घर पर तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा गया था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह तथ्य भी सिद्ध किया है कि घर पर तारीख 4 फरवरी, 1998 की सुबह ताला लगा पाया गया था और तारीख 6 फरवरी, 1998

को दरवाजों को हटाने के पश्चात् उनके खोले जाने तक उस पर ताला लगा पाया गया था । इस संपूर्ण अवधि के दौरान प्रत्यर्थी कहीं दिखाई नहीं दिया और उसे तारीख 17 फरवरी को ही गिरफ्तार किया जा सका था । प्रत्यर्थी ने न तो अपनी गिरफ्तारी के समय और न ही अन्वेषण के दौरान और न ही न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा में कोई स्पष्टीकरण दिया था । उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया कि वह तारीख 4 फरवरी, 1998 से 17 फरवरी, 1998 तक कहां था । अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति की उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया अनदेखी की गई है । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन पर्याप्त रूप से इसी परिस्थिति पर आधारित है । प्रत्यर्थी प्रतिरक्षा में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए आबद्धकर था । वह यह स्पष्ट कर सकता था कि वह इस अवधि के दौरान कहां था अथवा वह अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता था । इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी का गायब हो जाना निश्चय ही संदेहजनक था क्योंकि केवल वह ही यह स्पष्ट कर सकता था कि उसके बाद क्या हुआ था । अतः, उसने निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जो स्वयं में उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने संबंधी एक गंभीर परिस्थिति है । दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यद्यपि प्रत्यर्थी ने किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया था, तथापि यह साबित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूरतगढ़ मेले में भाग लेने गया था । अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उपधारणा की जा सकती है अथवा नहीं, चूंकि ये तथ्य कि वह सुसंगत अवधि के दौरान कहां था और उसने मृतका का साथ कब छोड़ा, ऐसे हैं जिनकी विशेष जानकारी उसी को थी, अतः उसे साबित करने का भार विधितः उसी पर था । इस न्यायालय का मत यह है कि भारतीय दंड संहिता [साक्ष्य अधिनियम] की धारा 106 के अधीन निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए अथवा नहीं एक ऐसा प्रश्न है जिसका अवधारण साबित बातों के हवाले से किया जाना चाहिए । अंततोगत्वा यह साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है क्योंकि प्रत्येक मामला अपने अलग तथ्यों पर आधारित होता है । राज्य के काउंसेल के इस तर्क में बहुत बल है कि इस मामले के तथ्यों को भी देखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि चूंकि प्रत्यर्थी को अंतिम बार मृतका

के साथ देखा गया था, अतः यह साबित करने का भार उस पर था कि उसके बाद क्या हुआ या क्योंकि वे तथ्य उसकी विशेष जानकारी में थे । चूंकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में असफल रहा है इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह उस भार का उन्मोचन करने में असफल रहा है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उस पर है । अतः इस परिस्थिति से उन परिस्थितियों की श्रृंखला में जो उसके अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करती हैं, लुप्त कड़ी सामने आती है । (पैरा 17, 18, 19 और 24)

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपराध में फंसाने वाली उस अत्यंत परिस्थिति की पूर्णतया अनदेखी कर दी गई जो अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था अर्थात् यह कि प्रत्यर्थी को अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा गया था उसके बाद घर पर ताला लगा हुआ पाया गया था और उसके बाद प्रत्यर्थी का कहीं कोई अता-पता नहीं था । उसका तारीख 17 फरवरी, 1998 तक, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, कोई अता-पता नहीं चल पाया । प्रत्यर्थी द्वारा बचाव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा किए जाने में उसे अपराध में फंसाने वाली सभी परिस्थितियों के बारे में पूछे जाने पर अपने उत्तर में सपाट इनकार किया । प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं : (क) उसके अपनी पत्नी कलावती के साथ संबंध सोहार्द्रपूर्ण नहीं थे । (ख) तारीख 3 फरवरी, 1998 को सायंकाल में उसे उसकी पत्नी कलावती (मृतका) के साथ उसके घर पर देखा गया था । (ग) प्रत्यर्थी के घर पर तारीख 4, 5 और 6 फरवरी, 1998 को ताला लगा पाया गया था । (घ) तारीख 6 फरवरी, 1998 को जब उसके घर को खोला गया तो उसकी पत्नी और पुत्रियों के शव वहां पाए गए थे और चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उनकी मृत्यु गला घोंट कर की गई थी । मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया गया है । (ङ) चूंकि प्रत्यर्थी का कोई अता-पता नहीं था, इसलिए मृतका की माता, अभि. सा. 5 जयकौरी, को इस बात की चिंता हो गई कि वे सब कहां हैं और उसने उनका पता लगाने के लिए अभि. सा. 1 और 6 से अनुरोध किया । (च) अपनी गिरफ्तारी के पश्चात् भी उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह अपनी पत्नी से कब अलग हुआ था और न ही उसने साक्ष्य

अधिनियम की धारा 106 के अधीन भार के उन्मोचन के लिए कोई दोषमुक्ति संबंधी कोई स्पष्टीकरण दिया था ।

इस न्यायालय का मत यह है कि ये अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं और अभियुक्त-प्रत्यर्थी के अपराध किसी अन्य परिकल्पना से संगत नहीं हैं । यदि वह तारीख 3 फरवरी, 1998 को सायंकाल में अपनी पत्नी के साथ था तो उसे इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार और कब वह अपनी पत्नी से अलग हुआ था और/अथवा कुछ ऐसा विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना चाहिए जो उसे दोषमुक्त बनाता हो । प्रत्यर्थी ने कहीं अन्यत्र होने का अभिवाक् नहीं किया और न ही उसने ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया जिससे उसकी निर्दोषिता का समर्थन होता हो ।

न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि वह दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार कर रहा है किंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने अपराध में फंसाने संबंधी उस अति महत्वपूर्ण परिस्थिति की पूर्णतया अनदेखी की है जो अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतीत होती है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्यर्थी के तारीख 3 फरवरी, 1998 को उसकी पत्नी के साथ देखे जाने और तत्पश्चात् गायब हो जाने तथा गिरफ्तार किए जाने पर कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने संबंधी अपराध में फंसाने वाली अत्यंत परिस्थिति की उच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह निष्कर्ष अभिलिखित करके पूर्णतया अनदेखी की गई है कि पति का उसकी पत्नी के साथ उसके घर में देखा जाना कुछ भी असामान्य नहीं है । उच्च न्यायालय अन्य अंतर्संबंधित परिस्थितियों का अर्थात् घर पर ताला लगाने के पश्चात् गायब हो जाने और बचाव में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहने संबंधी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा था । इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा उस महत्वपूर्ण निश्चायक साक्ष्य की अनदेखी की गई है जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करता है और इसी कारण उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना आवश्यक है । (पैरा 28, 29, 30 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 3 एस. सी. सी. 161 : **पी. मणि** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	26

[2003] (2003) 1 एस. सी. सी. 534 :
सहदेवन उर्फ सगदेवन बनाम राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, चेन्नई द्वारा किया गया ; 22

[2001] (2001) 8 एस. सी. सी. 311 :
राम गुलाम चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य ; 21

[2000] (2000) 5 एस. सी. सी. 197 :
जोसेफ सुपुत्र कुवेली पॉउलो बनाम केरल राज्य ; 20

[1960] ए. आई. आर. 1960 मद्रास 218 :
नैना मोहम्मद वाले मामले । 23

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 745.

1999 के डी. बी. दांडिक हत्या निर्देश सं. 2 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के तारीख 21 दिसंबर, 1999 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री नवीन कुमार, मुकुल सूद, एस. गुप्त, (सुश्री) शिखा टंडन और अरुणेश्वर गुप्त

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री डूंगर सिंह, वी. जे. फ्रांसिस, ए. राधाकृष्णन्, अनुपम मिश्र और पी. आई. जोश

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी.पी. सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – राजस्थान राज्य द्वारा यह अपील विशेष इजाजत लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा 1999 की डी. बी. दांडिक अपील सं. 622, 1999 की डी. बी. जेल अपील सं. 619 और 1999 के डी. बी. दांडिक हत्या निर्देश सं. 2 में दिए गए उस समान निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 21 दिसंबर, 1999 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के द्वारा फाइल की गई अपीलों को मंजूर कर लिया था और मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करने संबंधी विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए हत्या संबंधी निर्देश को

अस्वीकार कर दिया था । हमने यह अवेक्षा की कि दोनों दांडिक अपीलें इसमें के प्रत्यर्थी द्वारा, एक जेल से और दूसरी अधिवक्ता के माध्यम से फाइल की गई थी । विशेष अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (महिला अत्याचार), श्री गंगानगर द्वारा 1998 के सेशन विचारण सं. 39 में किए गए तारीख 29 सितंबर, 1999 के उस निर्णय और आदेश को जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आवेदक (अर्जीदार) को मृत्यु दंडादेश दिया गया था अपास्त कर दिया गया था ।

2. इसमें के प्रत्यर्थी काशीराम, का कलावती (मृत) के साथ इस घटना के सात वर्ष पूर्व विवाह हुआ था । उनके (इस बीच) दो बच्चे हुए, सुमन (मृत) और गुड्डी (मृत) जिनकी आयु क्रमशः ढाई वर्ष और ढाई मास की थी । अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उनके संबंध सौहार्द्रपूर्ण नहीं थे और प्रत्यर्थी द्वारा कलावती पर हमला किए जाने और उसके साथ क्रूरता बरते जाने की घटनाएं होती रहती थीं । यद्यपि प्रत्यर्थी के पिता के घर पर पंचायत भी बुलाई गई थी, फिर भी प्रत्यर्थी के पिता ने अपनी लाचारी प्रकट की क्योंकि अपीलार्थी ने उसकी सलाह पर कभी ध्यान नहीं दिया । परिणामतः कलावती लगभग दो वर्ष तक अपने माता-पिता के पास रही । बाद में, हरचंद, प्रत्यर्थी के पिता ने उसके माता-पिता को आश्वस्त किया कि काशीराम का व्यवहार सुधर गया है और इस प्रकार कलावती को उसके दंपत्ति गृह (ससुराल) भेज दिया जाना चाहिए । इस पर विश्वास करके कलावती को उसके ससुराल भेज दिया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि कुछ समय के पश्चात् काशीराम ने पुनः उसी पुराने ढंग से अवचार (दुर्व्यवहार) बरतना शुरू कर दिया और वह रह-रह कर अपनी पत्नी कलावती को पीटता भी था ।

4. अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी ने तारीख 3 और 4 फरवरी, 1998 की मध्यरात्रि में अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी और उसके बाद गायब हो गया । इस घटना के बारे में प्रथम इत्तिला इंदर भान, अभि. सा. 6, द्वारा जो कि कलावती (मृत) के पिता का कजिन है, दी गई थी । उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्ररूपिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी गई थी और प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला रजिस्टर कर लिया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 6 फरवरी, 1998 को पूर्वाह्न 10.15 बजे अभिलिखित की गई थी जिसमें इत्तिलाकर्ता द्वारा यह कथन किया गया कि :–

"प्रत्यर्थी का घटना से लगभग सात वर्ष पूर्व कलावती (मृत) से विवाह हुआ था । कलावती अपने विवाह के पश्चात् पहले छह माह में यदा-कदा अपने माता-पिता के घर आया करती थी किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कलावती और उसके पति (इस अपील में का प्रत्यर्थी) के बीच प्रायः झगड़ा होता रहता था । पति यही शिकायत करता रहता था कि वह विवाह के समय भैंस के बजाए ऊंट ले आई है । वह यह भी शिकायत करता रहता था कि वह काले रंग रूप की है । बात यहां तक पहुंच गई कि कलावती अपने माता-पिता के घर वापस आ गई । ठीक अगले दिन, इत्तिलाकर्ता मृतका के पिता तथा अन्य लोगों के साथ प्रत्यर्थी के पिता हरचंद के घर गया और उसके पुत्र के व्यवहार के बारे में शिकायत की । हरचंद ने इस मामले में अपने को लाचार् बताया और यह सलाह दी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो करो क्योंकि उसका पुत्र उसके नियंत्रण में नहीं है । इन परिस्थितियों में कलावती लगभग डेढ़ या दो वर्ष तक अपने माता-पिता के घर पर ही रहती रही । एक दिन हरचंद, प्रत्यर्थी का पिता, कलावती के पिता के घर पर आया और उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र काशीराम (इसमें का प्रत्यर्थी) ने अपना व्यवहार सुधार लिया है और उसे विश्वास दिलाया कि उसका (कलावती का) उसके दंपत्ति गृह में पूरा ध्यान रखा जाएगा । मृतका के पिता और अन्य नातेदारों ने हरचंद के भाई द्वारा विश्वास दिलाए जाने पर उसे (कलावती) उसके दंपत्ति गृह भेजने का विनिश्चय कर लिया । प्रत्यर्थी अपने पिता, हरचंद, के साथ आया और मृतका (कलावती) उसके साथ अपने दंपत्ति गृह चली गई । प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी कलावती (मृत) के यहां दो पुत्रियों ने जन्म लिया जिनमें से एक की आयु, घटना के समय, ढाई वर्ष थी और दूसरी की आयु ढाई मास थी । प्रत्यर्थी और कलावती (मृत) कुछ समय तक प्रत्यर्थी के माता-पिता के साथ रही किंतु घटना के लगभग दो मास पूर्व प्रत्यर्थी प्रेम नगर में किराए के मकान में चला गया ।"

5. कलावती के घर पर दूध उसके पिता के घर से भेजा जाया करता था और उसका भाई मामराज, अभि.सा. 2, प्रतिदिन दूध देने जाया करता था । तारीख 3 फरवरी, 1998 को भी हर दिन की तरह मामराज, अभि. सा. 2, दूध देने गया था । उसकी बहन कलावती ने उससे कहा कि वह आगे से दूध न लाया करे । अगले दिन, अर्थात् 4 फरवरी, 1998 को मामराज, अभि.सा. 2 ने यह देखा कि प्रत्यर्थी के घर के प्रवेश द्वार पर

ताला लगा हुआ है । इस बारे में पूछे जाने पर पड़ोस के एक व्यक्ति गुरदयाल सिंह ने उसे बताया कि उसने प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों को कल सायंकाल तक देखा था किंतु उसके बाद वे कहां गए इसे वह नहीं जानता ।

6. सायंकाल में अपराह्न 5.30 बजे कलावती की माता (अभि.सा. 5) इत्तिलाकर्ता के पास आई और उससे कहा कि उसे कुछ संदेह हो रहा है और उससे अनुरोध किया कि वह प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के ठौर-ठिकाने के बारे में पता लगाए । इत्तिलाकर्ता शिव नारायण (अभि. सा. 1) के साथ प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों का पता लगाने के लिए मोटर साइकिल पर गया । रास्ते में पुल पर उसे कश्मीरी लाल तथा हरचंद का एक दूसरा पुत्र मिला । पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि हो सकता है प्रत्यर्थी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूरतगढ़ मेले में गया हो और वे भी उनका इंतजार कर रहे हैं । इसी बीच, प्रत्यर्थी के पिता हरचंद भी आ गए । इत्तिलाकर्ता ने उनसे यह कहा कि वे पुल पर इंतजार करने के बजाए प्रत्यर्थी के घर पर चलें । तदनुसार वे सब अपने-अपने यानों पर प्रत्यर्थी के घर की ओर चल पड़े, किंतु जैसे ही वे प्रेम नगर के समीप पहुंचे, अभियुक्त के दो भाई उसको देखकर गायब हो गए । अपराह्न लगभग 7.30 बजे इत्तिलाकर्ता प्रत्यर्थी के घर पर आया और मुख्य द्वार पर ताला लगे देखा । दरवाजों को खुलवाया गया और घर के भीतर उन्होंने पाया कि कलावती का शव चारपाई पर पड़ा है और दोनों बच्चों के शव एक दूसरी चारपाई पर पड़े हैं । अतः इत्तिलाकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी है और उसके बाद से गायब हो गया है ।

7. डा. प्रेम अरोप अभि.सा. 10, ने कलावती तथा उसके दोनों बच्चों के शवों की शव परीक्षा की । कलावती के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं :–

> "गर्दन पर बांधे जाने का 2 सें.मी. गहरा निशान है और गर्दन के पीछे गांठ का निशान है, बांधे जाने का निशान टेंटुएं (Thyroid cartilage) के ठीक नीचे है और वह गर्दन के चारों ओर है । निशान का मूलाधार हलका पीला, शुष्क और सख्त है । बांधे जाने के निशान के नीचे एक शुष्क और एक कट सेक्शन उत्तक पाया गया है । शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट (क्षति) नहीं पाई गई है ।"

8. डा. अरोरा की राय में मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी । उसकी राय में, दोनों बच्चों की मृत्यु भी श्वासावरोध के कारण हुई थी । उसकी राय में, इन सभी की मृत्यु शव-परीक्षा, जो कि 7 फरवरी, 1998 को की गई थी, के 48 से 72 घंटे पूर्व हुई थी ।

9. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को साबित करने के लिए अनेक साक्षियों की परीक्षा की गई थी । अभि.सा.1, शिव नारायण, वह व्यक्ति है जिसके साथ अभि. सा. 6 इंदर भान, मृतका की माता अर्थात् अभि.सा. 5 जय कौरी के अनुरोध पर प्रत्यर्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों की खोज-खबर लेने के लिए गया था । उसने अभियोजन पक्ष के इस आशय के पक्षकथन का पूर्णतया समर्थन किया कि वह प्रत्यर्थी के पिता और इंदर भान, अभि.सा. 5, के साथ तारीख 6 फरवरी, 1998 को सायंकाल में प्रत्यर्थी के घर पर गया था और मुख्य गेट खोलने तथा घर के प्रवेश द्वार को हटाने के पश्चात् वे घर में प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने घर के भीतर दो चारपाइयों पर शवों को पाया ।

10. अभि.सा. 5, जय कौरी, मृतका की माता ने इस आशय का अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री के साथ प्रत्यर्थी क्रूरता बरतता था । उसने उन घटनाओं के बारे में बताया है जो मृतका कलावती को उसके पति के साथ उसके दंपत्ति गृह में भेजे जाने के पूर्व घटित हुई थीं । उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी के घर पर उसका पुत्र, मामराज, अभि.सा. 2, दूध देने जाया करता था और तारीख 3 फरवरी, 1998 को जब मामराज दूध देने के लिए गया था तो कलावती ने उससे कहा कि इसके बाद दूध नहीं लाना क्योंकि अब दूध उसके पति का बड़ा भाई देने आया करेगा । उसने दावा किया कि वह बृहस्पतिवार, अर्थात् तारीख 5 फरवरी, 1998 को मृतका के घर पर गई थी किंतु दरवाजों पर ताले लगे देखकर वह वापस आ गई थी । उसने आस-पड़ोस से पूंछताछ की थी । आस-पड़ोस ने उसे बताया कि उन्होंने उनको मंगलावार (3 फरवरी, 1998) के सायंकाल तक देखा था किंतु उसके बाद उन्होंने उन्हें नहीं देखा । वह पुनः शुक्रवार को अपनी पुत्री के घर गई थी और उसने पुनः वहां ताले लगे देखें । उसके मन में संदेह पैदा हुआ और तब उसने इंदर भान, अभि. सा. 6 और शिव नारायण अभि. सा. 1 से उनकी खोज-खबर लेने के अर्थात् उनका पता लगाने का अनुरोध किया ।

11. अभि. सा. 2, मामराज, जो मृतका कलावती का भाई है, ने भी कलावती के साथ उसके पति द्वारा जो क्रूरता का व्यवहार किया जाता था

उससे संबंधित घटनाओं के बारे में बताया । इस साक्षी के अनुसार, वह प्रत्यर्थी के घर पर दूध देने जाया करता था, क्योंकि काशीराम का भाई, जो उनके यहां दूध दिया करता था, बीमार था । तारीख 3 फरवरी, 1998 को जब वह दूध देने के लिए वहां गया तो प्रत्यर्थी तथा उसकी बहन, कलावती (मृतका) ने उससे आगे से दूध न देने के लिए कहा । तारीख 4 फरवरी, 1998 को घर वापस आते समय उसने कलावती (मृतका) के घर पर ताला लगे देखा । अगले दिन, जब उसकी माता अभि. सा. 5, कलावती के घर पर गई तो उसने भी घर पर ताला लगे देखा । आस-पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया कि कलावती और काशीराम को आखिरी बार मंगलवार (3 फरवरी, 1998) के सायंकाल तक देखा गया था । जब उसकी माता पुनः तारीख 6 फरवरी, 1998 को कलावती के घर गई तो उसने वहां ताला लगे देखा और इसलिए उसने इंदर भान तथा शिव नारायण से उनकी खोज-खबर लेने का अनुरोध किया । इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई हैं किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जो उसको अविश्वनीय बनाए । इस साक्षी के इस प्रकथन को कि मृतका कलावती और उसके पति (इसमें के प्रत्यर्थी) ने तारीख 3 फरवरी, 1998 को उससे कहा कि आगे से दूध देने न आए, प्रतिपरीक्षा में कोई चुनौती नहीं दी गई । केवल अपने को इस बात के लिए आश्वस्त करने की दृष्टि से कि इस साक्षी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में भी ऐसा कहा गया था, हमने पुलिस को दिए गए उसके कथन का परिशीलन किया और हमारा यह निष्कर्ष है कि उसने ऐसा अन्वेषण के दौरान भी कहा था । हमने केस डायरी का परिशीलन मुख्य साक्ष्य के रूप में नहीं किया था बल्कि इस बात को सत्यापित करना चाहा था कि अभि.सा. 2 द्वारा अन्वेषण के दौरान ऐसा कहा गया था अथवा नहीं । अभि.सा. 2 के इस मुख्य साक्ष्य को कि उसने अपनी बहन और प्रत्यर्थी को तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा था, कोई चुनौती नहीं दी गई है ।

12. अभियोजन पक्ष ने दो साक्षियों, दिनेश कुमार, अभि. सा. 3 तथा ओम प्रकाश, अभि. सा. 4, की यह साबित करने के लिए परीक्षा की कि प्रत्यर्थी ने इन दो साक्षियों के समक्ष तारीख 17 फरवरी, 1998 को एक न्यायिकेतर (न्यायालय के सामने न की. गई) संस्वीकृति की थी । अभियोजन पक्ष ने प्रत्यर्थी के कहने पर की गई उस बरामदगी के साक्ष्य का भी सहारा लिया, जिसके अनुसरण में एक कमरबंध और दो दरवाजों पर

लगे तालों की चाबियां प्रत्यर्थी के कब्जे से तारीख 18 फरवरी, 1998 को बरामद की गई थीं । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अनेक अन्य साक्षियों की भी परीक्षा की थी ।

13. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक विचार करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने यह सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि मृतका कलावती आखिरी बार जीवित अपने घर में तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखी गई थी और यह कि मामराज, अभि. सा. 2, ने उसे तथा साथ ही उसके पति को भी उनके किराए के मकान में देखा था । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि तारीख 4 फरवरी, 1998 की सुबह घर के दोनों दरवाजों पर ताले लगे पाए गए थे और यह कि संबंधित अभियोजन पक्ष के साक्षी तारीख 6 फरवरी, 1998 को दरवाजे को हटाने के पश्चात् घर में प्रविष्ट हुए थे । घर पर तारीख 4 फरवरी, 1998 को जब मृतका कलावती की माता उसके घर पर गई थी तब भी ताला लगा पाया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा अपराध के शस्त्र (साधन) की अर्थात् कमरबंध और दो तालों की चाबियां प्रत्यर्थी के कब्जे से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित उसके कथन के अनुसरण में जो बरामदगी की थी, उसका अवलंब लिया गया था । विचारण न्यायालय द्वारा उस न्यायिकेतर (न्यायालय के सामने न की गई) संस्वीकृति का भी अवलंब लिया गया था, जो कि कथित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के समक्ष किया गया था । विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि तारीख 4 फरवरी, 1998 को घर पर ताला लगा पाया गया था और तारीख 17 फरवरी, 1998 तक, जब प्रत्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था, उसका कोई अता-पता नहीं था । यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् भी उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और विचारण के प्रक्रम पर भी केवल उसके विरुद्ध जो अभिकथन किए गए थे उनका ही प्रत्याख्यान किया और निश्चायक दिनों के दौरान अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । इन परिस्थितियों का अवलंब लेते हुए और इस निष्कर्ष को देखते हुए कि मृत्यु, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से साबित होता है, मानववध थीं, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि साबित किए गए तथ्यों और परिस्थितियों से केवल जो अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी तथा दोनों पुत्रियों की हत्या करने के पश्चात् घर पर

ताला लगा दिया और वहां से गायब हो गया । उसे दो सप्ताह पश्चात् गिरफ्तार किया गया था किंतु वह प्रतिरक्षा में कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा । तदनुसार, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे उसके द्वारा किए गए अपराध की घृणित प्रकृति को देखते हुए, जिसमें तीन निर्दोष व्यक्तियों की, जिनमें दो अबोध शिशु भी हैं, जानें चली गईं, मृत्यु दंडादेश दिया ।

14. अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य निष्कर्षों को उलट दिया और प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया । अपराध में फंसाने संबंधी अन्य परिस्थितियों का उल्लेख किए जाने से पूर्व आरंभ में ही उनमें से दो परिस्थितियों की अवेक्षा करना उपयोगी होगा अर्थात् एक यह परिस्थिति कि प्रत्यर्थी ने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के समक्ष न्यायिकेतर (न्यायालय के समक्ष न की गई) संस्वीकृति की थी और दूसरी यह परिस्थिति कि अन्वेषण के दौरान उसके कथन के अनुसरण में कलावती (मृतका) का गला घोंटने के लिए प्रयुक्त कमरबंध तथा उसके घर के दो दरवाजों की चाबियों की बरामदगी की गई थीं । उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा इन परिस्थितियों को साबित करने के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था उस पर विश्वास नहीं किया और हम इस बाबत उच्च न्यायालय से सहमत हैं । वस्तुतः प्रत्यर्थी के लिए अभि. सा. 3 और अभि.सा. 4 के समक्ष संस्वीकृति संबंधी कोई कथन करने का कोई कारण नहीं था । ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह दर्शित होता हो कि उसका उनमें विश्वास प्रकट करने का कोई आधार था । साक्ष्य अनैसर्गिक और अविश्वसनीय प्रतीत होता है । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का सक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है और यद्यपि, न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना संभव है तथापि संस्वीकृति संबंधी साक्ष्य किसी अन्य तथ्य की भांति साबित किया गया होना चाहिए और उसकी महत्ता उन साक्षियों की सत्यनिष्ठा पर निर्भर करती है जिन्होंने कि वह दिया है । उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि अभि.सा. 3 दिनेश कुमार मामराज, मृतका-कलावती के भाई को जानता था । अभि.सा. 3 न तो सरपंच था और न ही कोई वार्ड सदस्य था और इस प्रकार प्रत्यर्थी का अपनी संरक्षा की ईप्सा करने के लिए उसमें विश्वास प्रकट करने का कोई आधार नहीं था । इसी प्रकार, अभि.सा. 4 ने यह स्वीकार किया है कि वह तो अभियुक्त को पहचानता

भी नहीं था । इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन कि प्रत्यर्थी ने अभि. सा. 3 और अभि.सा. 4 के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, नामंजूर किया जाना चाहिए ।

15. जहां तक बरामदगी का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि अभि. सा. 6, इंदर भान, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया था कि कमरबंध, जिसका कि कलावती का गला घोंटने के लिए प्रयोग किया गया था, स्वयं पुलिस द्वारा अपराध के स्थल से बहुत पहले बरामद किया गया था और तो और, कमरबंध तथा चाबियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं की गई थीं । ऐसा हो सकता है कि कुछ अन्य साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया हो कि कमरबंध घटना स्थल से बरामद नहीं किया गया था, किंतु मामले के तथ्यों को देखते हुए संदेह का फ़ायदा अवश्य ही अभियुक्त को मिलना चाहिए ।

16. एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति का कि प्रत्यर्थी को मृतका के साथ आखिरी बार तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा गया था उसके बाद वह गायब हो गया था और उसके घर पर ताला लगे पाया गया था और यह कि उसने किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए एक छोटे से पैरा में यह निस्तारण कर दिया कि यदि अभियुक्त को उसके स्वयं के परिवार के सदस्यों के साथ उसके घर में देखा गया था तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है । इस तर्कणा पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस पारिस्थितिक साक्ष्य का अवलंब लिया गया है वह इतना मजबूत नहीं था कि प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि को सिद्ध ठहराया जा सके । तदनुसार उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई अपीलों को मंजूर कर लिया और विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए किए गए मृत्यु संबंधी निर्देश को नामंजूर कर दिया ।

17. हमने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया है । अभिलेखबद्ध चिकित्सीय साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि कलावती और उसकी दो अवयस्क पुत्रियों की मृत्यु ऐसा मानववध था जो गला घोंटने से कारित किया गया था । मृत्यु श्वासावरोध के कारण हुई थी । अभिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि मृतका को आखिरी बार प्रत्यर्थी के साथ जीवित उसके घर पर तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा गया था । अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह तथ्य भी सिद्ध किया है कि घर

पर तारीख 4 फरवरी, 1998 की सुबह ताला लगा पाया गया था और तारीख 6 फरवरी, 1998 को दरवाजों को हटाने के पश्चात् उनके खोले जाने तक उस पर ताला लगा पाया गया था । इस संपूर्ण अवधि के दौरान प्रत्यर्थी कहीं दिखाई नहीं दिया और उसे तारीख 17 फरवरी को ही गिरफ्तार किया जा सका था । प्रत्यर्थी ने न तो अपनी गिरफ्तारी के समय और न ही अन्वेषण के दौरान और न ही न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा में कोई स्पष्टीकरण दिया था । उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया कि वह तारीख 4 फरवरी, 1998 से 17 फरवरी, 1998 तक कहां था । अभियोजन पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति की उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया अनदेखी की गई है । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन पर्याप्त रूप से इसी परिस्थिति पर आधारित है । प्रत्यर्थी प्रतिरक्षा में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए आबद्धकर था । वह यह स्पष्ट कर सकता था कि वह इस अवधि के दौरान कहां था अथवा वह अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता था । दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यद्यपि प्रत्यर्थी ने किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया था, तथापि यह साबित करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सूरतगढ़ मेले में भाग लेने गया था । अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उपधारणा की जा सकती है अथवा नहीं, चूंकि ये तथ्य कि वह सुसंगत अवधि के दौरान कहां था और उसने मृतका का साथ कब छोड़ा, ऐसे हैं जिनकी विशेष जानकारी उसी को थी, अतः उसे साबित करने का भार विधितः उसी पर था ।

18. राज्य के विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष यह पुरजोर दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने अभिलेखबद्ध उस साक्ष्य की अनदेखी करके स्पष्ट भूल की है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी को मृतका कलावती के साथ उसके घर आखिरी बार तारीख 3 फरवरी, 1998 को अपराह्न के अंतिम चरण तक (सायंकाल तक) देखा गया था । उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा और उसके घर पर (अगली) सुबह ताला लगा हुआ पाया गया था । अभि. सा. 5 मृतका कलावती की माता के तथा अभि.सा. 2 उसके भाई मामराज के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह तथ्य साबित होता है कि तारीख 4 फरवरी, 1998 को घर पर ताला लगा हुआ पाया गया था । साक्ष्य से यह भी संदेह से परे साबित होता है कि तारीख 6 फरवरी, 1998

को दरवाजे हटाए थे और मृतका कलावती तथा उसकी पुत्रियों के शव घर के भीतर पाए गए थे । इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी का गायब हो जाना निश्चय ही संदेहजनक था क्योंकि केवल वह ही यह स्पष्ट कर सकता था कि उसके बाद क्या हुआ था । अतः उसने निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जो स्वयं में उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने संबंधी एक गंभीर परिस्थिति है । उसने अपनी दलील का समर्थन इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए किया है ।

19. राज्य के विद्वान् काउंसेल द्वारा जिन विनिश्चयों का अवलंब लिया गया है, उनका उल्लेख करने से पूर्व यह मत व्यक्त कर दें कि भारतीय दंड संहिता [साक्ष्य अधिनियम] की धारा 106 के अधीन निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए अथवा नहीं एक ऐसा प्रश्न है जिसका अवधारण साबित बातों के हवाले से किया जाना चाहिए । अंततोगत्वा यह साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है क्योंकि प्रत्येक मामला अपने अलग तथ्यों पर आधारित होता है ।

20. **जोसेफ सुपुत्र कुवेली पॉउलो** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में तथ्य ये थे कि मृतक एक विद्यालय का कर्मचारी था । अपीलार्थी, जो स्वयं को ग्रेसी, मृतका, की एक बहन का पति बता रहा था, सेंट मेरीज़ कान्वेंट, जहां कि वह नियोजित थी, गया और एक झूठे बहाने से कि उसकी माता बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कान्वेंट की भारसाधक सिस्टर, अभि. सा. 5, की अनुज्ञा से उसे वहां से ले गया । अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह था कि बाद में अपीलार्थी ने न केवल उसके साथ बलात्संग किया और उसके आभूषण लूट लिए बल्कि उसे रेल की पटरी पर डाल दिया जिससे कि वह रेलगाड़ी के नीचे आ जाए । यह भी तथ्य रूप में निष्कर्ष निकाला गया कि मृतका को अंतिम बार जीवित उसके साथ ही देखा गया था और यह कि अपीलार्थी द्वारा अन्वेषण के दौरान दी गई जानकारी पर मृतका के आभूषण जो अपीलार्थी द्वारा अभि.सा.11 को बेचे गए थे, अभिगृहीत कर लिए गए थे । यह साबित करने के लिए इस बात का स्पष्ट साक्ष्य था कि वे आभूषण मृतका ने उस समय पहने हुए थे जब वह अपीलार्थी के साथ कान्वेंट से गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी ने अपने अड़ियल रुख के कारण प्रत्येक बात को पूरी तरह नकारते हुए ऐसी किन्हीं भी

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 197.

अपराध में फंसाने संबंधी परिस्थितियों को बताने या स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया जो उसे उस अपराध के अभियोग में फंसाने या उससे जोड़ने वाली हों । ऐसे तथ्यों की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :–

> "अपराध में फंसाने संबंधी तथ्यों को केवल अपीलार्थी ही बता सकता था न कि कोई और क्योंकि उनकी व्यैक्तिक रूप से और अनन्य रूप से जानकारी केवल उसे ही थी । अभी हाल में, न्यायालयों ने, प्रतिरक्षा पक्ष के अभिवाक् और न्यायालय में प्रश्न किए जाने पर दिए गए मिथ्या उत्तरों से संबंधित व्यक्ति को किए गए अपराध से संबद्ध करने के लिए आवश्यक फंसाने वाली परिस्थिति की श्रृंखला को पूरा करने के लिए ऐसे उत्तरों के द्वारा पूरी की जाने वाली विलुप्त कड़ियों की बात कही है ।
>
> [महाराष्ट्र राज्य **बनाम** सुरेश (2000)1 एस. सी. सी. 471 वाला मामला देखिए] । इस मामले में हम यह देखते हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी को संबद्ध करने वाली विलुप्त कड़ी बताई गई प्रत्येक और सभी फंसाने वाली परिस्थितियों के जो हमारे मत में साबित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को ग्रेसी की मृत्यु और मृत्यु करने से पर्याप्त रूप में और युक्तियुक्त निश्चितता के साथ जोड़ती स्पष्ट और तत्काल इनकार से देखने में आती हैं ।"

21. **राम गुलाम चौधरी और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में विचारण के प्रक्रम पर जो तथ्य साबित किए गए थे वे इस प्रकार थे कि मृत लड़के पर अपीलार्थियों द्वारा पाश्विक रूप से हमला किया गया था । जब उनमें से एक द्वारा यह बताया गया कि वह लड़का अभी भी जीवित है और उसे मार दिया जाना चाहिए तो उसकी छाती में छुरा घोंप दिया गया । तत्पश्चात् अपीलार्थी उस लड़के को वहां से ले गए और उसके पश्चात् उसे जीवित नहीं देखा गया । अपीलार्थियों ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने लड़के को वहां से ले जाने के पश्चात् क्या किया । प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या ऐसे तथ्यों के होने पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होती है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :–

> "ऐसे किसी स्पष्टीकरण के अभाव में तथा इस तथ्य पर विचार

---

[1] (2001) 8 एस. सी. सी. 311.

करते हुए कि अपीलार्थियों को इस बात का संदेह था कि उन्होंने उनके (अपीलार्थियों के) परिवार के बच्चे का व्यपहरण किया है और उसकी हत्या की है, इस बात को स्पष्ट करने का भार अपीलार्थियों पर था कि उन्होंने उसे वहां से ले जाने के पश्चात् उसके साथ क्या किया था । जब अपहरणकर्ताओं ने न्यायालय से उस जानकारी को छिपाया तो इस बात का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह न्यायोचित है कि उन्होंने लड़के की हत्या कर दी थी । यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किए जाने के उसके भार से मुक्त करने का आशय नहीं है तथापि यह धारा वर्तमान मामले जैसे मामलों में उस दशा में लागू होती है जहां कि अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा हो जिनसे मृत्यु के बारे में युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है । अपीलार्थियों को अपनी विशेष जानकारी के आधार पर यह स्पष्टीकरण अवश्य ही देना चाहिए था जिससे कि न्यायालय के लिए भिन्न निष्कर्ष निकालना संभवहो सकता है ।"

22. **सहदेवन** उर्फ **सगदेवन** बनाम **राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, चेन्नई द्वारा किया गया**[1] वाले मामले में अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को सिद्ध किया कि मृतक को तारीख 5 मार्च, 1985 की सुबह से उस दिन अपराह्न लगभग 5.00 बजे तक, जब उसे उसके घर लाया गया था, अपीलार्थियों के साथ देखा गया था और उसके बाद तारीख 6 मार्च, 1985 की सुबह उसका शव मिला था । इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि :–

"अतः न्यायालय का इस बारे में समाधान करना अपीलार्थियों के लिए आबद्धकर हो गया है कि कहां और किस प्रकार से वडीवेलु ने उनका साथ छोड़ा था । इसी सिद्धांत पर कि वह व्यक्ति, जो अंत में किसी अन्य के साथ देखा जाता है, यदि बाद में लापता पाया जाता है तो उस व्यक्ति को, जिसके साथ उसे अंतिम बार देखा गया था, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होता है जिनमें कि वे अलग हुए थे । वर्तमान मामले में अपीलार्थी अपने इस भार का उन्मोचन करने में असफल रहे हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. 534.

कथन में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विनिर्दिष्ट आधार नहीं अपनाया है ।"

23. यहां पर अत्यधिक नजीरों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है । यह सिद्धांत सुस्थापित है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के उपबंध में ही यह असंदिग्ध और स्पष्ट रूप से अधिकथित है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है । इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अंतिम बार मृतक के साथ देखा जाता है तो उसे यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार और कब वे अलग हुए थे । उसे ऐसा स्पष्टीकरण देना चाहिए जो न्यायालय को अधिसंभाव्य और समाधानप्रद प्रतीत हो । यदि वह ऐसा करता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसने अपने भार का उन्मोचन कर दिया है । यदि वह उन तथ्यों के आधार पर, जो उसकी विशेष जानकारी में हैं, कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन जो भार उस पर डाला गया है उसका उन्मोचन करने में असफल रहता है । ऐसे किसी मामले में, जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, यदि अभियुक्त उस पर डाले गए भार के उन्मोचन में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो यह स्वयं में उन परस्थितियों की, जो उसके विरुद्ध साबित होती हैं, श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है । धारा 106 के अंतर्गत किसी आपराधिक विचारण में सबूत का भार, जो कि सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है, एक से दूसरे पर अंतरित नहीं होता है । इसमें यह नियम अधिकथित है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर, जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं और जिनसे उसकी निर्दोषिता से संगत किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं हो सकता, कोई प्रकाश नहीं डालता है तो न्यायालय उनके द्वारा ऐसे किसी स्पष्टीकरण को देने में असफल रहने को ऐसी अतिरिक्त कड़ी मान सकता है जो उस श्रृंखला को पूरा करती हो । इस सिद्धांत का सुस्पष्ट रूप में **नैना मोहम्मद वाले मामले**[1] में उल्लेख किया गया है ।

24. राज्य के काउंसेल के इस तर्क में बहुत बल है कि इस मामले के तथ्यों को भी देखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि चूंकि प्रत्यर्थी को अंतिम बार मृतका के साथ देखा गया था, अतः यह साबित

---

[1] ए. आई. आर. 1960 मद्रास 218.

करने का भार उस पर था कि उसके बाद क्या हुआ या क्योंकि वे तथ्य उसकी विशेष जानकारी में थे । चूंकि प्रत्यर्थी ऐसा करने में असफल रहा है इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह उस भार का उन्मोचन करने में असफल रहा है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उस पर है । अतः इस परिस्थिति से उन परिस्थितियों की श्रृंखला में जो उसके अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करती हैं, लुप्त कड़ी सामने आती है ।

25. प्रत्यर्थी के काउंसेल ने यह निवेदन किया कि मृतका के भाई, मामराज अभि.सा. 2 के साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता, जिसने कि यह कथन किया था कि जब वह मृतका के घर पर तारीख 3 फरवरी, 1998 को गया था तो उसने अपनी बहन तथा प्रत्यर्थी को भी घर पर देखा था और उसे इसके बाद दूध न लाने के लिए कहा गया था क्योंकि इस बाबत वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई थी । मामराज, अभि. सा. 2, के इस कथन को प्रतिपरीक्षा में भी चुनौती नहीं दी गई थी । अन्वेषण के दौरान भी मामराज, अभि. सा. 2, ने इसी आशय का कथन किया था । अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने इस तथ्य को पहली बार विचारण के प्रक्रम पर प्रकट किया था । विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अभि. सा. 2 का पूर्वोक्त कथन विनिर्दिष्ट रूप से अभियुक्त के, जब उसकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी, सामने नहीं किया गया था । ऐसा हो सकता है, किंतु मामले के तथ्यों को देखते हुए हमारा यह निष्कर्ष है कि ऐसे किसी लोप से अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । मामराज, अभि. सा. 2, ने उसकी उपस्थिति में अभिसाक्ष्य दिया था और उसकी ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी । मामराज, अभि. सा. 2, के इस आशय के कथन को कि उसने मृतका को अंतिम बार प्रत्यर्थी के साथ देखा था, उसकी प्रतिपरीक्षा में भी चुनौती नहीं दी गई थी । इसके अलावा, प्रत्यर्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में दिए गए उत्तरों के रुख से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने उन सभी अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों से सपाट इनकार कर दिया जिनके बारे में उससे पूछा गया था और उसने उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया था ।

26. प्रत्यर्थी की ओर से तब यह निवेदन किया गया था कि आस-पड़ोस के लोगों की, जिन्होंने यह कथन किया था कि उन्होंने प्रत्यर्थी और मृतका, कलावती को तारीख 3 फरवरी, 1998 को सायंकाल में देखा था,

अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई थी । अभि. सा. 2 मामराज के साक्ष्य को, जिसने इस तथ्य को साबित किया था, देखते हुए इन साक्षियों की परीक्षा न किए जाने से अभियोजन पक्ष के पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । यह भी निवेदन किया गया कि यह दर्शित करने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं था कि प्रत्यर्थी सं. 1 घटना के पश्चात् फरार था । अभिलेख पर साबित किए गए तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि तारीख 4 फरवरी, 1998 को घर पर ताला लगा पाया गया था । तारीख 5 फरवरी, 1998 को भी यही स्थिति थी, जब अभि. सा. 5, जय कौरी, मृतका कलावती की माता, अपनी पुत्री के घर पर गई तो वहां घर पर ताला लगा पाया । तारीख 6 फरवरी, 1998 को भी घर पर ताला लगे देखकर उसे चिंता हो गई कि उसकी पुत्री ठीक तो है, इसलिए वह इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 6 के पास गई और उससे अपनी पुत्री कलावती तथा उसके परिवार के सदस्यों का पता लगाने का अनुरोध किया । इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी के घर के दरवाजों पर ताले लगे हुए थे और उसका कहीं कोई अता-पता नहीं था । यह तथ्य भी कि जब अभि. सा. 1 और 6 प्रत्यर्थी और मृतका तथा उसके बच्चों का पता लगा रहे थे तो प्रत्यर्थी के भाई ने उन्हें यह बताया कि वे संभवतः सूरतगढ़ मेले में गए होंगे, इसी दिशा की ओर संकेत करता है । अतः यह स्पष्ट है कि वह अपराध करने के बाद से फरार था । वस्तुतः, वह तारीख 17 फरवरी, 1998 तक जब उसे गिरफ्तार किया गया था उसका कोई अता-पता नहीं था । अतः यह साबित करने के लिए इस बात का प्रचुर साक्ष्य है कि प्रत्यर्थी का तारीख 4 फरवरी, 1998 और 17 फरवरी, 1998 के बीच कोई अता-पता नहीं था । इस न्यायालय द्वारा **पी. मणि** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में किए गए जिस विनिश्चय का विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिया गया है उससे इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कोई सहायता नहीं मिलती ।

27. अंत में यह निवेदन किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा में यद्यपि तारीख 3 फरवरी, 1998 को उसके पड़ोसियों द्वारा सायंकाल में उसे देखे जाने से संबंधित परिस्थिति के बारे में प्रत्यर्थी अभियुक्त को बताया गया था तथापि अभि. सा. 2 के नाम का ऐसे व्यक्ति के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था जिसने कि उसे मृतका के साथ उस दिन देखा था । तथ्य यही शेष रहता है कि अपराध में

---

[1] (2006) 3 एस. सी. सी. 161.

फंसाने वाले परिस्थिति के बारे में अभियुक्त को बताया गया था किंतु उसने इस बारे में सपाट इनकार किया । हमें ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि अभि. सा. 2 के नाम का उल्लेख न किए जाने से प्रत्यर्थी पर, जब अपराध में फंसाने संबंधी परिस्थिति के बारे में जो उसके विरुद्ध प्रतीत हो रही थी, उसे बता दिया गया था, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ।

28. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा यह समाधान हो गया है कि इस अपील को मंजूर कर लिया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय द्वारा अपराध में फंसाने वाली उस अत्यंत परिस्थिति की पूर्णतया अनदेखी कर दी गई जो अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था अर्थात् यह कि प्रत्यर्थी को अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ तारीख 3 फरवरी, 1998 को देखा गया था उसके बाद घर पर ताला लगा हुआ पाया गया था और उसके बाद प्रत्यर्थी का कहीं कोई अता-पता नहीं था । उसका तारीख 17 फरवरी, 1998 तक, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, कोई अता-पता नहीं चल पाया । प्रत्यर्थी द्वारा बचाव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा किए जाने में उसे अपराध में फंसाने वाली सभी परिस्थितियों के बारे में पूछे जाने पर अपने उत्तर में सपाट इनकार किया ।

29. प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सिद्ध होती हैं :–

(क) उसके अपनी पत्नी कलावती के साथ संबंध सोहार्द्रपूर्ण नहीं थे ।

(ख) तारीख 3 फरवरी, 1998 को सायंकाल में उसे उसकी पत्नी कलावती (मृतका) के साथ उसके घर पर देखा गया था ।

(ग) प्रत्यर्थी के घर पर तारीख 4, 5 और 6 फरवरी, 1998 को ताला लगा पाया गया था ।

(घ) तारीख 6 फरवरी, 1998 को जब उसके घर को खोला गया तो उसकी पत्नी और पुत्रियों के शव वहां पाए गए थे और चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उनकी मृत्यु गला घोंट कर की गई थी । मृत्यु का कारण श्वासावरोध बताया गया है ।

(ङ) चूंकि प्रत्यर्थी का कोई अता-पता नहीं था, इसलिए मृतका की माता, अभि. सा. 5 जयकौरी, को इस बात की चिंता हो गई कि

वे सब कहां हैं और उसने उनका पता लगाने के लिए अभि. सा. 1 और 6 से अनुरोध किया ।

(च) अपनी गिरफ्तारी के पश्चात् भी उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वह अपनी पत्नी से कब अलग हुआ था और न ही उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन भार के उन्मोचन के लिए कोई दोषमुक्ति संबंधी कोई स्पष्टीकरण दिया था ।

30. हमारे मतानुसार ये अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां एक पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं और अभियुक्त-प्रत्यर्थी के अपराध किसी अन्य परिकल्पना से संगत नहीं हैं । यदि वह तारीख 3 फरवरी, 1998 को सायंकाल में अपनी पत्नी के साथ था तो उसे इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था कि किस प्रकार और कब वह अपनी पत्नी से अलग हुआ था और/अथवा कुछ ऐसा विश्वासनीय स्पष्टीकरण देना चाहिए जो उसे दोषमुक्त बनाता हो । प्रत्यर्थी ने कहीं अन्यत्र होने का अभिवाक् नहीं किया और न ही उसने ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया जिससे उसकी निर्दोषिता का समर्थन होता हो ।

31. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार कर रहे हैं किंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने अपराध में फंसाने संबंधी उस अति महत्वपूर्ण परिस्थिति की पूर्णतया अनदेखी की है जो अभियुक्त-प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतीत होती है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्यर्थी के तारीख 3 फरवरी, 1998 को उसकी पत्नी के साथ देखे जाने और तत्पश्चात् गायब हो जाने तथा गिरफ्तार किए जाने पर कोई स्पष्टीकरण न दिए जाने संबंधी अपराध में फंसाने वाली अत्यंत परिस्थिति की उच्च न्यायालय द्वारा मात्र यह निष्कर्ष अभिलिखित करके पूर्णतया अनदेखी की गई है कि पति का उसकी पत्नी के साथ उसके घर में देखा जाना कुछ भी असामान्य नहीं है । उच्च न्यायालय अन्य अंतर्संबंधित परिस्थितियों का अर्थात् घर पर ताला लगाने के पश्चात् गायब हो जाने और बचाव में कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहने संबंधी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा था । इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा उस महत्वपूर्ण निश्चायक साक्ष्य की अनदेखी की गई है जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करता है । अतः, उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना आवश्यक है ।

32. परिणामतः, हम इस अपील को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । दंडादेश के प्रश्न के संबंध में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह अपराध फरवरी, 1998 में किया गया था और प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, हम उसे आजीवन कारावास से दंडादिष्ट करते हैं । प्रत्यर्थी को संभवतः इस न्यायालय के तारीख 1 सितंबर, 2000 के आदेश के अनुसरण में, जिसके द्वारा गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया गया था, छोड़ दिया गया हो । उसके जमानत संबंधी बंधपत्र को रद्द किया जाता है और उसे उसका दंड भोगने के लिए तुरंत अभिरक्षा में लिए जाने का निदेश दिया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ज./म.

[2007] 1 उम. नि. प. 211

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

सतेन्द्र और अन्य

8 नवम्बर, 2006

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा

मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 168 – मोटर दुर्घटना – प्रतिकर – मोटर दुर्घटना के कारण कम आयु के बालक की मृत्यु हो जाने पर प्रतिकर का अवधारण करना अत्यधिक कठिन कार्य है और जहां उसके माता-पिता दावेदार हों तो माता-पिता की आयु ही सुसंगत कारक होती है ।

मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 168 – मोटर दुर्घटना – प्रतिकर के लिए दावा – अधिनिर्णीत प्रतिकर "न्यायसंगत" होना चाहिए और वह अत्यधिक लाभ के रूप में या लाभ का स्रोत नहीं होना चाहिए किन्तु इसके साथ-साथ वह अल्प मात्रा में भी नहीं होना चाहिए ।